I/निगरानी/विदिशा/भू-२/2017/2074   भा.पु. 2074/2017

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2017 निगरानी विदिशा

श्रीमती चन्दा पुत्री श्री प्रीतम सिंह पत्नी महेन्द्र सिंह , निवासी ग्राम पवई हाल निवासी ग्राम सांची तहसील सांची जिला रायसेन म.प्र.

...... आवेदिका

बनाम

1. रिंकी बाई वेवा यशवंत सिंह
2. शिवा पुत्र यशवंत सिंह नावालिग सरपरस्त मॉ रिंकी बाई वेवा यशवंत सिंह , ग्राम पवई हाल निवासी नवाकुर गली वार्ड नं. 8 गौरव श्रीवास्तव का मकान गंज बासौदा जिला विदिशा म.प्र.
3. शंभू सिंह पुत्र प्रीतम सिंह
4. नीरज सिंह पुत्र प्रीतम सिंह

निवासी ग्राम पवई तहसील बासोदा जिला विदिशा म.प्र.

.... अनावेदकगण

श्री आर.एल. लोधा द्वारा आज दि. 3-7-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-7-17
राजस्व मण्डल

आर.एल. लोधा अभिभाषक 3/7/17

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

न्यायालय तहसीलदार तहसील गंज बासौदा जिला विदिशा म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 72/अ–27/ 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 27.6.2017 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत है।

श्रीमानजी,

आवेदिका द्वारा निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :–

1. यहकि, ग्राम पवई तहसील बासौदा स्थित भूमि कुल रकवा 20.506 हेक्टर होकर आवेदिका का 1/3 हिस्सा विवादित भूमि में है। अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा तहसीलदार बासौदा के समक्ष

XXIX(a)-BR(H)-11

221

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/2074

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	